संख्या- 73 /26-ब0प्र0-2014-14(नि0)/2013

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2014

विषय:- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोहाण्ड हमीरपुर के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2736/17फ/नि0नि0अ0/2013-14, दिनांक 29.10.2013 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-49/पॉच-6-13, दिनांक 17.01.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोहाण्ड, हमीरपुर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-883/पांच-6-13-30निर्माण/13, दिनांक 10.07.2013 द्वारा निर्धारित मानकीकृत लागत रू0 386.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण योजना हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि से रू0 193.10 लाख (रू0 एक करोड़ तिरान्बे लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.3.2013 तथा शासनादेश संख्या-883/पांच-6-13-30निर्माण/13, दिनांक 10.07.2013 में निहित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन कडाई से किया जायेगा।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-2366/ पांच-6-06-57जी/2006, दिनांक 03.07.2006 के अनुसार एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
3. संबंधित निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध भूमि का मृदा परीक्षण कराने के उपरान्त विस्तृत नक्शें एवं आगणन तैयार करने एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।
5. यह सुनिश्तिच किया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और भविष्य में भी किसी अन्य योजना में कार्य प्रस्तावित नहीं हैं।
6. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्वैरावृत्ति न हो।
7. ओवर हेड टैंक, ट्यूबेल, पम्प हाउस, चाहरदिवारी, वाहय स्थल विकास हेतु धनराशि / लागत निम्नवत आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी।
8. प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनिधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोडी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

10. कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

11. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

13. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

14. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

15. आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेसे की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

16. प्रश्नगत निर्माण कार्यो को शासनादेश संख्या-2937/पांच-6-07-, दिनांक 12;12;07 द्वारा निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक् योजना-06-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-262/दस-2014, दिनांक 31.01.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 72(1)/26-ब0प्र0-2014-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर निदेशक(नियोजन/बजट)/अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मण्डल।
4. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/विभागीय वेब मास्टर।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in